

कार्यकारी सारांश

परिचय

स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता मानव जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। यह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.40 प्रतिशत भाग आच्छादित करता है। राज्य के कुल सतही जल संसाधन देश के कुल सतही जल संसाधनों का केवल 1.16 प्रतिशत ही हैं। अल्प वर्षा तथा सिंचाई एवं पेयजल हेतु भू-जल के अत्यधिक दोहन के कारण भूजल स्तर चिंताजनक रूप तक घट गया है।

जल जीवन मिशन एक फ्लैगशिप योजना है, जिसे 15 अगस्त 2019 को प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। योजना के प्रारम्भ के समय राजस्थान में 96,06,728 परिवारों को जेजेएम के अंतर्गत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 07 जनवरी 2025 तक कुल 47,65,980 परिवारों (49.61 प्रतिशत) को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि 48,40,748 परिवार (50.39 प्रतिशत) अभी भी समावेशित किए जाने शेष हैं।

जल जीवन मिशन का आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क

जल जीवन सर्वेक्षण में अक्टूबर 2022 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान राजस्थान का स्थान 34 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 30वें से 34वें स्थान के बीच रहा। अप्रैल 2024 तक, राज्य के जल गुणवत्ता से प्रभावित आधे से अधिक बसावट क्षेत्र जेजेएम के अंतर्गत अब भी समावेशित नहीं हो पाए थे तथा कमजोर जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पिछड़े ब्लॉक, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रगति धीमी रही है। यद्यपि स्वास्थ्य केंद्रों (73.68 प्रतिशत), पंचायत घरों (87.27 प्रतिशत) तथा आश्रमशालाओं (66.00 प्रतिशत) में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन का अपेक्षाकृत अधिक समावेशन प्राप्त हुआ है, तथापि विद्यालयों (41.12 प्रतिशत) एवं आंगनवाड़ी केंद्रों (44.80 प्रतिशत) में समावेशन निम्न स्तर पर बना हुआ है। क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के कम समावेशन के प्रमुख कारण कार्यों के आवंटन में विलंब, क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं के पूर्ण होने में देरी तथा उपलब्ध निधियों का कम उपयोग, आदि रहे।

जनवरी 2025 तक, राजस्थान के 302 ब्लॉक में से केवल एक ही 'हर घर जल' प्रमाणन प्राप्त कर सका था। इसके अतिरिक्त, राज्य में केवल 400 ग्राम पंचायतें (3.56 प्रतिशत) तथा 4,254 ग्राम (10.05 प्रतिशत) ही 'हर घर जल' प्रमाणन प्राप्त कर पाए थे। यह पूरे राज्य में प्रमाणन की धीमी प्रगति को प्रदर्शित करता है।

राज्य ने जेजेएम के अंतर्गत घरेलू जल मीटर स्थापित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया। परिणामस्वरूप, परिवारों को वास्तविक रूप से आपूर्ति किए जा रहे जल की मात्रा की निगरानी हेतु कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण समुदायों के स्वास्थ्य पर प्रभाव, महिलाओं के सशक्तिकरण, बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की दर तथा रोजगार में वृद्धि जैसे पहलुओं पर जेजेएम के प्रभाव का आकलन करने हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) द्वारा कोई मूल्यांकन अध्ययन भी नहीं कराया गया।

स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद, जेजेएम के अंतर्गत समावेशित गाँवों में सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई संस्थागत व्यवस्था स्थापित नहीं की गई। न तो इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश/आदेश जारी किए गए और न ही सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु किसी तृतीय पक्ष/गैर-सरकारी संगठन को नामित किया गया।

सिफारिशें:

- राज्य सरकार जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों को समयबद्ध कार्ययोजना के माध्यम से, नियमित समीक्षा सहित, प्राथमिकता प्रदान कर सकती है।
- राज्य सरकार, जेजेएम की परिचालन निर्देशिका की परिकल्पना अनुसार, स्वास्थ्य परिणामों, श्रमभार में कमी, बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति तथा आजीविका पर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए, निर्धारित अंतराल पर स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनों को प्रारम्भ करने हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) की कार्यकारी समिति को निर्देश दे सकती है।
- राज्य सरकार निगरानी एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए कार्यशील फ्लो मीटरों/घरेलू मीटरों की स्थापना सुनिश्चित कर सकती है तथा नियमित मूल्यांकन अध्ययन एवं सामाजिक लेखापरीक्षाएँ करवा सकती है।
- राज्य सरकार जेजेएम के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकती है, जिनमें क्षेत्राधिकार, आवृत्ति, ग्राम पंचायतों/वीडब्ल्यूएससी की भूमिकाएँ तथा प्रतिवेदन प्रारूपों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए।

आयोजना एवं निगरानी

चयनित 28 ग्रामों में से 24 ग्रामों में ग्राम कार्य योजनाएँ, राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा योजनाओं की स्वीकृति के 19 दिनों से लेकर 17 माह बाद तक तैयार की गई, जिससे बॉटम-अप योजना निर्माण का मूल उद्देश्य ही निष्फल हो गया। ये समय-सीमाएँ ग्राम समुदाय स्तर पर योजना निर्माण के अभाव को दर्शाती हैं।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने प्रोत्साहन, संचालन एवं रख-रखाव तथा जल की बर्बादी को हतोत्साहित करने से संबंधित आवश्यक नीतियों को लागू नहीं किया। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा भी चयनित ग्रामों में अनिवार्य प्रमुख दायित्वों जैसे कि स्रोत सततता तथा ग्रे-वाटर प्रबंधन हेतु प्रावधान करना, का निर्वहन नहीं किया। अप्रैल 2024 तक, राज्य के 3,910 ग्रामों (9.32 प्रतिशत) में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, चयनित ग्रामों की 12 पूर्ण परियोजनाओं में से केवल दो परियोजनाएँ ही ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित की गई, तथा केवल 10 चयनित ग्राम ही निर्धारित न्यूनतम सेवा प्रदाय स्तर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन, प्राप्त कर सके। साथ ही, चयनित ग्रामों में से

13 ग्रामों में सामुदायिक अंशदान एकत्र नहीं किया गया, और अन्य 13 चयनित ग्रामों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा एकत्रित अंशदान का उपयोग नहीं किया गया। चयनित ग्रामों में से 21 ग्रामों में महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट के उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया तथा 17 ग्रामों में जल स्रोत की गुणवत्ता परीक्षण भी नहीं किया गया।

सिफारिशें:

- राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि डीपीआर के अनुमोदन से पूर्व ग्राम कार्य योजनाएँ समयबद्ध रूप से तैयार की जाएं एवं योजना की डिजाईन एवं क्रियान्वयन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
- राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि संचालन एवं रख-रखाव, उपभोक्ता शुल्क तथा प्रोत्साहन/निरुत्साहन तंत्र से संबंधित प्रमुख नीतियों को अविलंब अंतिम रूप प्रदान किया जाए।
- राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि वीडब्ल्यूएससी का गठन निर्धारित प्रतिनिधित्व के अनुरूप किया जाए, उन्हें वित्तीय प्रबंधन एवं जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तथा नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित करने हेतु सशक्त बनाया जाए।

परिचालन-उपरांत प्रबंधन एवं सततता

वर्ष 2017-24 के दौरान, भू-जल पुनर्भरण के आधार पर वर्गीकृत अतिदोहित ब्लॉकों की संख्या 185 (62.71 प्रतिशत) से बढ़कर 214 (70.86 प्रतिशत) हो गई, जबकि सुरक्षित श्रेणी के ब्लॉकों की संख्या 45 (15.25 प्रतिशत) से घटकर 37 (12.25 प्रतिशत) रह गई, जो एक चिंताजनक रुझान को दर्शाता है। वर्ष 2024 तक केवल 12.25 प्रतिशत ब्लॉक ही सुरक्षित श्रेणी में शेष रहने के कारण राज्य दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम का सामना कर रहा है। यह स्थिति सतत जल उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भू-जल पुनर्भरण को सुदृढ़ करने, भू-जल दोहन के विनियमन तथा व्यवस्थित निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करती है। विभाग द्वारा किसी भी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप, रिसाव से होने वाली जल हानि, अनधिकृत अथवा अवैध जल निकासी तथा ऊर्जा उपयोग में अक्षमताओं से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान एवं रोकथाम नहीं हो सकी।

भू-जल पर निर्भर चयनित नौ ग्रामों में या तो पुनर्भरण संरचनाओं का कोई प्रावधान नहीं था अथवा संरचनाओं का निर्माण नहीं किया गया। जेजेएम के अंतर्गत, विशेषकर भू-जल आधारित योजनाओं के लिए स्रोत सततता उपायों की आयोजना एवं क्रियान्वयन का अभाव, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन न होने को दर्शाता है। ट्यूबवेल पर निर्भर ग्रामों में पुनर्भरण संरचनाएँ उपलब्ध न कराना, साथ ही स्वीकृत प्रावधानों का क्रियान्वयन न करना, जलापूर्ति प्रणालियों के स्रोत के ह्रास के जोखिम के प्रति अनावृत्त करता है। इससे पेयजल आपूर्ति की दीर्घकालिक विश्वसनीयता कमजोर होती है, मौसमी जल-अभाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है तथा मिशन के सततता संबंधी उद्देश्यों से समझौता होता है।

राज्य में जेजेएम के अंतर्गत केवल 858 योजनाएँ (30.81 प्रतिशत) ही आगे के संचालन एवं रख-रखाव हेतु संबंधित ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित की गई। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव पर व्यय की वसूली के लिए कोई जल शुल्क संरचना तथा बिलिंग प्रणाली स्थापित नहीं की गई।

निर्धारित 45,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 25,890 व्यक्तियों (57.53 प्रतिशत) को ही जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव के प्रबंधन हेतु नल जल मित्र के रूप में चयनित किया गया। साथ ही, राज्य, जेजेएम के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं की दक्षता, निगरानी एवं सततता में सुधार के लिए उपलब्ध तकनीकी उन्नतियों का प्रभावी उपयोग करने में भी विफल रहा।

सिफारिशें:

- *राज्य सरकार ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए आवधिक जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा को संस्थागत रूप प्रदान कर सकती है, जिसका प्रारंभ उच्च खपत वाली तथा भू-जल आधारित योजनाओं से की जाए, तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उपयोग, हानियों को कम करने एवं परिचालन लागत के अनुकूलन हेतु किया जाए।*
- *राज्य सरकार ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए, मीटरिंग अथवा वैकल्पिक मापन तंत्रों की सहायता से एक श्रेणीबद्ध जल टैरिफ ढाँचा लागू कर सकती है तथा वीडब्ल्यूएससी द्वारा संचालन एवं रख-रखाव शुल्क संग्रहण हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर सकती है।*
- *राज्य सरकार स्पष्ट भूमिकाओं, वित्तीय व्यवस्थाओं एवं समय-सीमाओं सहित एक व्यापक संचालन एवं रख-रखाव नीति को अंतिम रूप देकर अधिसूचित कर सकती है तथा मानव संसाधन, वित्त एवं प्रशिक्षण की तत्परता के प्रमाणीकरण के पश्चात् पूर्ण योजनाओं का वीडब्ल्यूएससी को समयबद्ध हस्तांतरण सुनिश्चित कर सकती है।*
- *राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने हेतु नल जल मित्रों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है तथा उनके नियोजन को योजनाओं के हस्तांतरण उपरांत संचालन एवं रख-रखाव सहायता से जोड़ सकती है, ताकि निर्बाध एवं सतत जलापूर्ति सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें।*

वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2019-25 के दौरान, केंद्रीय निधियों के अपर्याप्त उपयोग के कारण राज्य को केंद्रीय अंश के कुल ₹ 41,414.24 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 29,145.92 करोड़ (70.38 प्रतिशत) की राशि कम जारी हुई। भुगतान राज्य सरकार के संचालन पोर्टल के माध्यम से संसाधित किए गए, न कि सीधे पीएफएमएस के माध्यम से। इसके अतिरिक्त, लेन-देन का विवरण पीएफएमएस पोर्टल पर बाद में अपलोड किया गया, जिससे वास्तविक समय निगरानी बाधित हुई। साथ ही, एसएनए खाते को पीएफएमएस से मैप नहीं किया गया तथा ईएटी मॉड्यूल का भी उपयोग नहीं

किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पीएफएमएस और जेजेएम-आईएमआईएस व्यय के मध्य ₹ 929.72 करोड़ (14 फरवरी 2025 को) की विसंगति रही। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-24 के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के खण्डों द्वारा किए गए कुल ₹ 33.22 करोड़ के 511 भुगतान, लाभार्थियों के नाम एवं बैंक खाता विवरण में त्रुटियों के कारण विफल हो गए।

वर्ष 2020-24 के वार्षिक कार्य योजनाओं में अभिसरण-आधारित कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन तथा निधियों के इष्टतम उपयोग के अवसर छूट गए। इसके अतिरिक्त, वार्षिक कार्य योजना 2020-24 के अन्तर्गत, 10 फरवरी 2023 तक केवल ₹ 129.13 करोड़ (9.66 प्रतिशत) का सामुदायिक अंशदान प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा के दौरान नियमित कार्मिकों के वेतन एवं शिलान्यास समारोह पर ₹ 5.89 करोड़ के अस्वीकार्य व्यय के उदाहरण पाए गए। इसके अतिरिक्त, कार्य की गलत मात्रा एवं आधार सूचकांकों को अपनाने के कारण मूल्य विचलन मद में ₹ 0.44 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

सिफारिशें:

- राज्य सरकार जेजेएम कार्यों के लिए एक माइलस्टोन आधारित व्यय योजना तैयार कर उसकी नियमित निगरानी कर सकती है, ताकि निधियों के अवशोषण में सुधार हो तथा केंद्र से प्राप्त अनुदानों का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- राज्य सरकार जेजेएम के सभी वित्तीय लेन-देनों हेतु पीएफएमएस का एंड-टू-एंड उपयोग, जिसमें ईएटी मॉड्यूल भी सम्मिलित हो, अनिवार्य कर सकती है तथा रिपोर्टिंग में विसंगतियों को समाप्त करने के लिए पीएफएमएस, आईएमआईएस एवं बैंक अभिलेखों के मध्य मासिक मिलान सुनिश्चित कर सकती है।
- राज्य सरकार भुगतान प्रक्रिया से पूर्व लाभार्थियों एवं विक्रेताओं के बैंक विवरण का अनिवार्य सत्यापन सुनिश्चित कर भुगतान नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ कर सकती है, ताकि विफल लेन-देन तथा क्रियान्वयन में होने वाली देरी को रोका जा सके।
- राज्य सरकार उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु, अस्वीकार्य व्ययों पर प्रतिबंध लगाकर, अधिक किए गए भुगतानों की शीघ्र वसूली कर तथा अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण का व्यवस्थित रूप से लाभ उठाकर, वित्तीय अनुशासन लागू कर सकती है।

जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण

वर्ष 2019 से 2025 की अवधि (20 जनवरी 2025 तक) में विभाग ने जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्वेक्षण गतिविधियों पर केवल ₹ 40.39 करोड़ (8.31 प्रतिशत) व्यय किए, जबकि ₹ 445.84 करोड़ (91.69 प्रतिशत) राशि अव्ययित रही।

राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएँ ‘एकरूप पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल’ के अंतर्गत निर्धारित 78 मापदंडों में से केवल 41 मापदंडों की ही जाँच कर पा रही थीं। वहाँ रेडियोधर्मी एवं विषाणुजनित मापदंडों की जाँच की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। चयनित जिलों की जिलास्तरीय प्रयोगशालाएँ न्यूनतम 34 जल गुणवत्ता मापदंडों की जाँच के विरुद्ध केवल 9 से 22 मापदंडों की ही जाँच करने में सक्षम थीं। जुलाई 2024 तक ₹ 2.94 करोड़ व्यय किए जाने के बावजूद कोई भी ब्लॉकस्तरीय प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं थी। फरवरी 2024 की स्थिति के अनुसार राज्य की सभी प्रयोगशालाओं में कुल 102 पद (45.74 प्रतिशत) रिक्त थे।

भारत सरकार के निर्देशानुसार, राज्य को जल गुणवत्ता परीक्षण को जल आपूर्ति से पृथक करने हेतु 02 अक्टूबर 2022 तक ‘पेयजल गुणवत्ता आयुक्तालय (डीडब्ल्यूक्यूसी)’ की स्थापना करनी थी। यद्यपि इसके गठन का प्रस्ताव मुख्य रसायनज्ञ (जेजेएम एवं ग्रामीण) द्वारा जुलाई 2022 में मिशन निदेशक (जेजेएम) को प्रस्तुत किया गया था, तथापि अगस्त 2025 तक डीडब्ल्यूक्यूसी की स्थापना नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2022-24 के दौरान राजस्थान में रासायनिक एवं जीवाणुजनित परीक्षणों के 3,22,803 के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 1,01,824 जल स्रोतों के गुणवत्ता परीक्षण ही किए गए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-24 के दौरान, रासायनिक रूप से दूषित 53,734 नमूनों (50.64 प्रतिशत) तथा जीवाणुजनित दूषित 299 नमूनों (63.35 प्रतिशत) के प्रकरणों में ही सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

साथ ही, 28.15 लाख फील्ड टेस्ट किट क्रय करने की योजना के बावजूद केवल 11.46 लाख फील्ड टेस्ट किट ही क्रय किये जा सके।

सिफारिशें:

- राज्य सरकार पेयजल गुणवत्ता आयुक्तालय की स्थापना कर, मुख्य रसायनज्ञ को स्वतंत्र दायित्व प्रदान कर एवं सूक्ष्मजीव विज्ञानी, रसायनज्ञ तथा सहायक कर्मचारियों की पर्याप्त भर्ती सुनिश्चित कर संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ एवं प्रभावी बना सकती है।
- राज्य सरकार, बीएलएल की स्थापना को प्राथमिकता देकर, फील्ड टेस्ट किट्स के क्रय एवं परिनियोजन तथा प्रदूषित जल स्रोतों के लिए सुधारात्मक उपायों का क्रियान्वयन कर, डब्ल्यूक्यूएमएंडएस निधि का त्वरित उपयोग कर सकती है।
- राज्य सरकार विशेष अभियानों के अंतर्गत स्पष्ट समय सीमा एवं जवाबदेही के साथ कुशल योजना बना सकती है, जिससे जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए ग्रामों, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित हो सके, साथ ही उचित भौगोलिक अंकन एवं अनुवर्ती सुधारात्मक उपाय भी किये जा सकें।

कार्यों का उपापन एवं निष्पादन

विभाग ने न्यायोचित लागत के पहलू की उपेक्षा की, जिसके परिणामस्वरूप निविदाएँ निरस्त करनी पड़ीं। परिणामस्वरूप कार्य आवंटित नहीं किए जा सके (सितंबर 2024 तक), जिससे बारां, झालावाड़ और कोटा जिलों के 1,402 गाँवों के 1,52,437 ग्रामीण परिवार, तीन वर्ष से अधिक

समय तक जेजेएम के अंतर्गत अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना भोयल (बारां) में, संवेदकों द्वारा विभाग के प्रति-प्रस्तावों को स्वीकार किए जाने तथा निविदा वैधता अवधि को बार-बार बढ़ाए जाने के बावजूद विभाग द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप देने में की गई निष्क्रियता समझ से परे थी एवं इससे निविदाओं के अन्तिमीकरण को लेकर विभाग की मंशा पर संदेह उत्पन्न होता है।

इसके अतिरिक्त, चयनित 26 क्षेत्रीय जलापूर्ति योजनाओं में से केवल आठ निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण की गईं, दो योजनाएँ 447 से 744 दिनों की देरी से पूर्ण हुईं, एवं 16 योजनाएँ अपनी निर्धारित पूर्णता तिथियों से 11 से 38 माह बीत जाने के बावजूद प्रगतिरत ही रहीं। साथ ही, चयनित सभी 26 क्षेत्रीय जलापूर्ति योजनाओं में तृतीय-पक्ष निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण के प्रावधान का पालन किए बिना संवेदकों को ₹ 122.31 करोड़ का भुगतान किया गया (दिसंबर 2024 तक)। लेखापरीक्षा में यह भी प्रकट हुआ कि जेजेएम के चयनित कार्यों में मनगढ़ंत/अनुपलब्ध/जाली/निरस्त/पुनर्उपयोग किए गए अथवा अन्य संवेदकों के बीजकों के आधार पर ₹ 7.07 करोड़ के संदिग्ध/अनियमित भुगतान किए गए। इसके अतिरिक्त, चयनित ग्रामों में पूर्व से विद्यमान कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों के लिए ₹ 8.32 लाख का भुगतान भी संदिग्ध पाया गया। करौली में निविदा खोलने से पूर्व ही पाइपों को क्रय कर लिया गया तथा बाद में 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जारी होने से पूर्व उन्हें सोजत सिटी को स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न होता है।

सिफारिशें:

- विभाग निविदा एवं खरीद प्रक्रियाओं को सुदृढ़ कर सकता है, जिसके लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, निरस्तीकरण के उचित कारण दर्ज किए जाएँ तथा अनुबंधों का समय पर अंतिमीकरण किया जाए।
- फर्जी दावों को रोकने हेतु बीजक सत्यापन, ई-वे बिल मिलान तथा तृतीय-पक्ष जाँच सहित वित्तीय परीक्षण की एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित की जा सकती है।
- निम्नस्तरीय कार्य के लिए अनिवार्य तृतीय-पक्ष निरीक्षण, पाइप नेटवर्क का जीआईएस मानचित्रण तथा संवेदकों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन तंत्र लागू किया जा सकता है।
- जवाबदेही बढ़ाने तथा कार्यों को समय पर पूर्ण कराने के लिए डिजिटल निगरानी उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दी जा सकती है।